राजस्व वाद संख्याः–88 / 2025
रामदेव सिंह बनाम सुमेर सिंह वगै0
निर्णय दिनांकः– 01/07/2025.....

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारीः– **श्रीमती सुमन देवी II(आर.ए.एस.)**

मु0नं0 88 / 2025

01. रामदेव सिंह उम्र 63 वर्ष पुत्र श्री बदरूराम जाति जाट निवासी बामणवास तहसील सुरजगढ जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
02. रामनिवास उम्र 60 वर्ष पुत्र श्री बदरूराम जाति जाट निवासी बामणवास तहसील सुरजगढ जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
03. सुरेश कुमार उम्र 57 वर्ष पुत्र श्री बदरूराम जाति जाट निवासी बामणवास तहसील सुरजगढ जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
04. मनोज कुमार उम्र 54 वर्ष पुत्र श्री बदरूराम जाति जाट निवासी बामणवास तहसील सुरजगढ जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

– वादीगण

बनाम

01. सुमेरसिंह उम्र 60 वर्ष पुत्र श्री नौरगराम जाति जाट निवासी बामणवास, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
02. रोहिताश उम्र 57 वर्ष पुत्र नौरगराम जाति जाट निवासी बामणवास, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
03. रूप कुमार उम्र 77 वर्ष पुत्र हनुमानाराम जाति जाट निवासी बामणवास, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
04. कर्मचन्द पुत्र हनुमानाराम (दौराने दावा फौत)

4/1. राजेन्द्र उम्र 45 वर्ष पुत्र कर्मचन्द

4/2. शेरसिंह उम्र 42 वर्ष पुत्र कर्मचन्द निवासी बामणवास, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू

4/3. विद्या कुमारी पुत्री कर्मचन्द पत्नी विरेन्द्र निवासी अरडावता, तहसील चिडावा, जिला झुन्झुनू

05. राजस्थान राज्य सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार सूरजगढ, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
06. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा शाखा चिड़ावा, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

———प्रतिवादीगण

उपस्थितः– वादीगण अधिवक्ता

दावा बाबत घोषणार्थ, एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादीगण ने घोषणार्थ, निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी नं 1 लगायत 4 के कॉमन पूर्वज बख्तारम थे। बख्तारम के छह पुत्र क्रमशः हनुमानाराम, बल्लाराम, धुकलराम, मालाराम, बदरूराम, भोलाराम हुये। जिनमें हनुमानाराम का स्वर्गवास हो चुका है, इनके तीन पुत्र रूपकुमार, कर्मचन्द नौरंगराम हुये, जिनमें नौरंगराम का स्वर्गवास हो चुका है, नौरंगराम के दो पुत्र सुमेरसिंह, रोहिताश है। धुकलराम का भी स्वर्गवास हो चुका है, इनके दो पुत्र चन्द्रभान, जुगलाल है। बल्लाराम, मालाराम, बदरूराम, भोलाराम का भी स्वर्गवास हो चुका है।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

राजस्व वाद संख्याः—88 / 2025
रामदेव सिंह बनाम सुमेर सिंह वगै0
निर्णय दिनांकः— 01/07/2025........

यह कि खेत गत खसरा नं 27 रकबा 9 बीघा 1 विस्वा पुख्ता, खसरा नं 28 रकबा 9 बीघा 1 विस्वा पुख्ता कुल किता 2 रकबा 18 बीघा 2 बिस्वा पुख्ता जो सरहद ग्राम बामणवास स्थित है को स्वर्गीय हनुमानाराम, बल्लाराम, धुकलराम, मालाराम, बदरूराम, भोलाराम ठिकाना के समय से ही संयुक्त रुप से खातेदार काश्तकार रहे। इनके स्वर्गवास के बाद में इनके वारिसान को उक्त भूमि उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। जिनकी वंशावली वाद पत्र की धारा 1 में दी जा चुकी है। उक्त काश्त की भूमि में बादीगण के पिता बदरूराम प्रतिवादी नं 3 व 4 के पिता हनुमानाराम, स्वर्गीय बल्लाराम, स्वर्गीय भोलाराम ही उक्त काश्त की भूमि पर मौके पर काश्त करते रहे,, काबिज रहे। परन्तु भोलाराम, बल्लाराम की काश्त की भूमि हक हिस्से एवं बंटवारे में अलग हो गई, जिसका खाता भी अलग है। इस कारण इस दावे में इनको पक्षकार नहीं बनाया गया हैं। सिणगारी पत्नी हनुमानाराम का स्वर्गवास हो चुका है तथा नौरंगराम का भी स्वर्गवास हो चुका है, जिसके दो पुत्र प्रतिवादी नं 1 व 2 दावे में पक्षकार है।

यह कि गत खसरा नं 27 व 28 के हाल खसरा नं 54 रकबा 1.00 हैक्टेयर, खसरा नं— 55 रकवा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नं 56 रकबा 1.21 हैक्टेयर, खसरा नं 57 रकबा 1.18 हैक्टेयर, खसरा नं 58 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नं 129 रकबा 0.59 हेक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 4.52 हेक्टेयर सरहद ग्राम बामणवास स्थित है, जिसमें वादीगण के पिता स्वर्गीय बदरूराम का 0.50 हेक्टेयर हक हिस्सा है, मौके पर काबिज है एवं काश्त है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में नये बंदोबस्त में बदरूराम का नाम दर्ज होने से रह गया तथा सभी भाइयों में बड़ा प्रेम होने से राजस्व रिकार्ड की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इस कारण उक्त काश्त की भूमि के राजस्व रिकार्ड की पुनरावृति होती रही। जबकि मौके पर वादीगण का कब्जा काश्त होने से वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होनी चाहिये थी।

यह कि वादीगण ने दिनांक 28.06.2017 को उक्त काश्त की भूमि का किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहा तो पता चला कि उक्त काश्त की भूमि वादीगण के नाम दर्ज नहीं है, जिसपर राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर पूर्ण जानकारी होने से राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों से अपने नाम दर्ज करवाने को कहीं, जिस पर प्रतिवादी नं 5 के इंकार होने पर यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

यह कि विनायमुखास्मत दावा हाजा के लिये दिनांक 28.06.2017 वादीगण अपने कब्जे काश्त की भूमि का किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहा जिस पर शाखा प्रबन्धक ने उक्त काश्त की भूमि वादीगण के नाम राजस्य रिकार्ड में दर्ज होने पर ही ऋण दिया जाना बताया। जिसपर वादीगण ने प्रतिवादी नं 1 लगायत 5 से उक्त काश्त की भूमि वादीगण के नाम दर्ज करवाने को कहाँ, जिसपर प्रतिवादीगण नं 1 लगायत 5 के इंकार होने पर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ।

(क) वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर घोषणा इस अमर की फरमाई जावे कि गत खसरा नं 27, 28 से हाल बने नये खसरा नं 55 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नं— 56/1 रकबा 0.77 हैक्टेयर में से खसरा नं 55 के साथ लगती हुई पूर्व दिशा की 0.24 हैक्टेयर भूमि कुल 0.50 हैक्टेयेर भूमि वादीगण के हक हिस्से एवं बंटवारे की भूमि है, जो राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है। जबकि मौजदूा राजस्व रिकार्ड में खसरा नं 55 सिणगारी पत्नी हनुमानाराम, नौरंगराम, रूपकुमार, कर्मचन्द पुत्रगण हनुमानाराम के नाम गलत दर्ज है का नाम हजफ कर तथा खसरा नं— 56 कर्मचन्द पुत्र हनुमानाराम के नाम 0.77 हैक्टेयर भूमि गलत दर्ज है, जबकि कर्मचन्द के हक हिस्से में 0.53 हैक्टेयर भूमि दर्ज होनी चाहिये। इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर वादीगण के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है। तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाये इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

वाद प्रार्थना पत्र बाजदायरी निर्णित होने पर दिनांक 07.05.2024 को दर्ज किया गया प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 का जवाब पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 04 का देहांत होने पर कायम मुकाम स्वीकार प्रार्थना पत्र स्वीकार होने पर संशोधित टाईटल पेश हुआ। शेष प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी । वकील वादी ने वाद का मुताबिक अनुतोष डिकी किये जाने का निवेदन किया। वकील पक्षकारान की बहस सुनी गयी। बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन पश्चात वाद वादीगण अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष अंतिम डिकी किया जाता है।

पखण्ड अधिकारी सूरजगढ

राजस्व वाद संख्याः—88 / 2025

रामदेव सिंह बनाम सुमेर सिंह वगै0

निर्णय दिनांकः— 01/07/2025......

आदेश

अतः वाद वादीगण अंतिम डिकी किया जाता है कि वाके ग्राम बामणवास में स्थित भुमि खेत गत खसरा नम्बर 27, 28 से हाल बने नये खसरा नं 55 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नं— 56 / 1 रकबा 0.77 हैक्टेयर में से खसरा नं 55 के साथ लगती हुई पूर्व दिशा की 0.24 हैक्टेयर भूमि कुल 0.50 हैक्टेयर भूमि वादीगण के हक हिस्से एवं बंटवारे की भूमि है, जो राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है। जबकि मौजदू राजस्व रिकार्ड में खसरा नं 55 सिणगारी पत्नी हनुमानाराम, नौरंगराम, रूपकुमार, कर्मचन्द पुत्रगण हनुमानाराम के नाम गलत दर्ज है का नाम हजफ करने की घोषणा की जाती है। खसरा नं— 56 कर्मचन्द पुत्र हनुमानाराम के नाम 0.77 हैक्टेयर भूमि गलत दर्ज है, जबकि कर्मचन्द के हक हिस्से में 0.53 हैक्टेयर भूमि दर्ज होनी चाहिये। इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर वादीगण के नाम दर्ज किया जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार पिलानी को आदेशित किया जाये उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिकी जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 01/07/2025..... को खुले इजलास में सुनाया गया।

(श्रीमती सुमन देवी II आर0ए0एस0)

उपखण्ड अधिकारी

सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

22.07.2025 आज वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र 151 CPC पेश किया। जो वादी अधिवक्ता द्वारा बहस की गई। बहस पर मनन किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 01/07/2025 को पारित निर्णय एवं डिक्री में लिपिकीय भूल से तहसीलदार पिलानी लिखा गया। जिसके स्थान पर तहसीलदार सूरजगढ़ किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

22/07/25

उपखण्ड अधिकारी

सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः—88 / 2025
रामदेव सिंह बनाम सुमेर सिंह वगै0
निर्णय दिनांकः—01/07/2025

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेष 20 के नियम 6 और 7)
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारीः— **श्रीमती सुमन देवी II (आर.ए.एस.)**

मु0नं0 88 / 2025

रामदेव सिंह बनाम सुमेर सिंह वगै0
दावा बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादीगण अधिवक्ता द्वारा इस वाद मे आज की तारीख 01/07/2025.............को श्रीमती सुमन देवी II उपखंड अधिकारी सूरजगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि—

वाद वादीगण अंतिम डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम बामणवास में स्थित भुमि खेत गत खसरा नम्बर 27, 28 से हाल बने नये खसरा नं 55 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नं— 56/1 रकबा 0.77 हैक्टेयर में से खसरा नं 55 के साथ लगती हुई पूर्व दिशा की 0.24 हैक्टेयर भूमि कुल 0.50 हैक्टयेर भूमि वादीगण के हक हिस्से एवं बंटवारे की भूमि है, जो राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है। जबकि मौजदूा राजस्व रिकार्ड में खसरा नं 55 सिणगारी पत्नी हनुमानाराम, नौरंगराम, रूपकुमार, कर्मचन्द पुत्रगण हनुमानाराम के नाम गलत दर्ज है का नाम हजफ करने की घोषणा की जाती है। खसरा नं— 56 कर्मचन्द पुत्र हनुमानाराम के नाम 0.77 हैक्टेयर भूमि गलत दर्ज है, जबकि कर्मचन्द के हक हिस्से में 0.53 हैक्टेयर भूमि दर्ज होनी चाहिये। इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर वादीगण के नाम दर्ज किया जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार पिलानी को आदेशित किया जाये उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 01/07/2025......... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी।

(श्रीमती सुमन देवी II आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ